रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

देश UTTAR PRADESH

BS 615773

कार्यालय

3. न्यास का कार्यक्षेत्र : न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत/विश्व होगा। इसके न्यास /ट्रस्ट शाखा कार्यालय देश/विदेश के अलग-अलग राज्यों तथा शहरों/गाँवों में स्थापित होंगे।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या : न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे।

Atul Kr Misra

स का गठन :–

सदस्यों का नाम	पिता/पति का नाम व वर्तमान पता	पदनाम	व्य य
अतुल कुमार मिश्रा	**पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा,** निवासी बी–43, केशव विहार रिंग रोड नजदीक महात्मा बुद्ध इण्टर कॉलेज, कल्याणपुर लखनऊ	संस्थापक	सम सेव
देवी मंजुलता	**पत्नि श्री मनीष कुमार** निवासी ग्राम/पो0– करगुवां, झाँसी, मोठ, उत्तर प्रदेश 284301	सह संस्थापक	सम से
बजरंग सिंह राठौर	**पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,** निवासी– बगरिया, पाली, दुदिया, राजस्थान, 306421	संयोजक	स से
दीपक कुमार	**पुत्र दुर्गा सिंह,** तरूवला, पो ओ पओटा साहिब, तहसिल पओटा साहिब, तरूवाला (114), मीर हिमाचल प्रदेश– 173025	उपाध्यक्ष	स से
डा0 के0के0 गुप्ता	**पुत्र श्री प्रयाग गुप्ता,** निवासी– अहिरौली, हनुमान सिंह, पो0– तमकुहीराज, कुशीनगर उ0प्र0	सचिव	स से
राजेश मालपानी	**पुत्र श्री शन्त कुमार** 11.1.239, अद्यपुरा, हनुमान मन्दिर, भायगुड़ा कमण, नार्मपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश 500001	महासचिव	स से
अंकित मिश्र	**पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्र** 85 दहए माखुपुर,खैराबाद,सीतापुर	कोषाध्यक्ष	स से

4. रोटी,कपड़ा बैंक की स्थापना कराना।
5. रक्तदान की व्यवस्था कराना तथा समय समय पर रक्तदान के कैम्प लगवाना।
6. वृक्षारोपण करवाना तथा पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग प्रदान करना।
7. नशा उन्मूलन का प्रयास करना।
8. हिन्दू समाज के लोगों के लिए आपसी प्रेम,सद्भाव एवं भाई चारे की भावना जागृत करना ।
9. हिन्दू समाज के विकास के लिए हर संभव मदद करना।
10. समाज मे विलुप्त हो चुकी भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना।
11. हिन्दू समाज के उत्थान के लिए शासन एवं प्रशासन के समक्ष मांग उठाना,ज्ञापन देना ।
12. सुंदर एवं स्वक्ष वातावरण बनाने का हर संभव प्रयास करना।
13. हिन्दू युवाओं को तकनीकी,साहित्यिक,शास्त्रिक, तरीके से मज़बूत बनाना ।
14. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम,विचार गोष्ठी, एवं बैठकों का आयोजन करना ।
15. गरीब लड़कियों की शादी व्याह को हिन्दू मान्यता के आधार पर करवाने में उनकी सहायता करना तथा दहेज रहित विवाह करने हेतु प्रेरित करना ।
16. ग्रीष्मकाल में प्याऊ की व्यवस्था करके जनहित को लाभान्वित करना।
17. प्रौढ़ शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा,विज्ञान शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,कृषि शिक्षा,प्रतियोगात्मक शिक्षा निःशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना।
18. जनहितार्थ धर्मार्थ चिकित्सालय,मोबाइल वैन चिकित्सालय, अनाथालय,छात्रावास,विधवाश्रम,व्यायामलय,वृद्धाश्रम,बालबाड़ी ,आँगनबाड़ी आदि की निःशुल्क मदद करना ।
19. जागरूकता शिविरों के माध्यम से गंभीर बीमारियों और समाज मे व्याप्त कुरीतियों को लोगो को समझाना ।

Atul Kr. Mishra

17. संस्था के कोष : न्यास के कोष/रोकड़ का लेखा-जोखा और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उत्तर दायित्व संस्थापक/अध्यक्ष न्यास का होगा। अधिक से अधिक 25000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) तक नगद न्यास के कार्यो के लिए संस्थापक/ अध्यक्ष न्यास अपने पास रखेगें। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाक घर या अन्य बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से जमा करना संस्थापक/ अध्यक्ष न्यास का दायित्व होगा। जमा कोष से रूपये की निकासी संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी के एकल हस्ताक्षर से होगा। इसके साथ साथ संस्थापक/ अध्यक्ष न्यासी के अनुपस्थिति के समय उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट के बैंक में जमा धन की निकासी का अधिकार प्राप्त होगा।

17. अंकेक्षण : अंकेक्षण न्यास के आय, व्यय का अंकेक्षण करेंगी तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करेंगे उसकी स्वीकृति प्रबंध समिति की बैठक से प्राप्त कर ली जायेगी एवं जिसे आम सभा में पारित होना अनिवार्य होगा। प्रबंधन जब चाहे न्यास का अंकेक्षण करा सकते है। जिसका खर्चा न्यास वहन करेंगी।

18. बैंक खता संचालन : बैंक खाते का संचालन संस्थापक/कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

यह कि उपरोक्त पता अस्थायी है जो भविष्य में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ट्रस्ट में किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति सम्मिलित नही है।

उपरोक्त न्यास की घोषणा में न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष/ प्रबन्धक निदेशक बमुकाम शहर लखनऊ में आज दिनांक 20 दिसम्बर 2018 को स्वेच्छापूर्वक, बिना दवाब नाजायज के, पूरे होश-हवास मे

Atul Kr. Mishra

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
AADTK7625E
नाम/ Name
KESARIA HINDU VAHINI TRUST
निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation
20/12/2018
25122018

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
AADTK7625E
नाम/ Name
KESARIA HINDU VAHINI TRUST
25122018
निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation
20/12/2018

न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 320

श्री अतुल कुमार मिश्रा ,
पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: बी-43, केशव विहार, रिंग रोड, नजदीक महात्मा बुद्ध इण्टर कालेज,
कल्याणपुर, लखनऊ

Atul Kr Misra

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/12/2018 एवं 01:45:17 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कमलेश पाठक
उप निबंधक :सदर तृतीय
लखनऊ
20/12/2018

मोहम्मद आकिर खान
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) नियमित

17. संस्था के

...संख्या 14582

...की तिथि 20/12/18

...का प्रयोजन

...का नाम पूरा व पता अतुल कुमार मिश्रा, विनोद कुमार मिश्रा

...की हस्ताक्षरी

दिनेश कुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

ला० नं०-155, निबन्धन भवन, लखनऊ

अवधि 31-03-2019

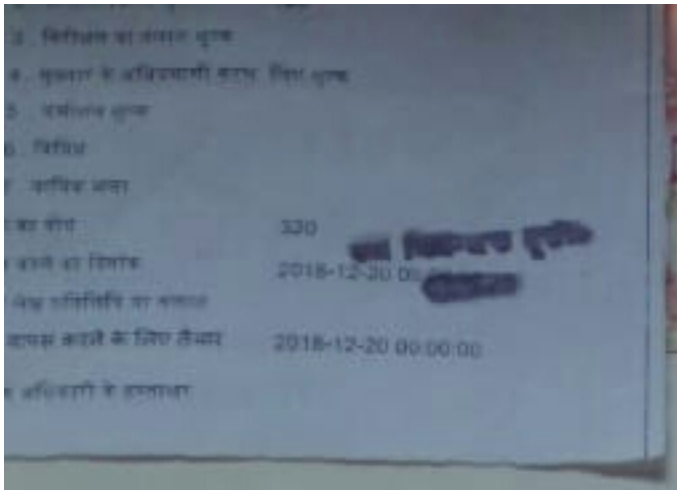

HUNDRED RUPEES

INDIA

JUDICIAL

ES 649875

320

2018-12-20 00

2018-12-20 00:00:00

के संस्थापक /अध्यक्ष/ न्यासकर्ता/ व्यवस्थापक ट्रस्टी के नाम से जाने जायेंगे।

हमारी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में स्थाई सुख शान्ति संगठन सद्भाव, विशवास गुणों की स्थापना हेतु एक न्यास की स्थपना की जाए तथा उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए तथा इसके निर्मित प्रारम्भ मुद्रा 10,000/– रूपये (रूपया दस हजार मात्र) केवल संस्थापक ट्रस्टी प्रदान करते हैं जो कि निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक ट्रस्टी के रूप

Atul Kr. Misra

[illegible] 14893

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] अतुल कुमार मिश्र s/o विनोद कुमार मिश्र

[illegible] [illegible]

[illegible]

20. गौसेवा के लिए अपने सभी लोगो को बताना,उनके उपचार इत्यादि को बताना,समझाना ।

21. भारत सरकार केंद्र एवं राज्य के सभी विभागो के जनउपयोगी कार्यक्रमो को लोगो को अवगत कराना एवं लोगो को इसका लाभ दिलाना ।

<u>संस्था के संचालन के नियम</u>

1. मुख्य संरक्षक/संयोजक,प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नही होंगे,लेकिन वो जब चाहे राष्ट्रीय एवं प्रदेश की बैठक आहूत कर सकते है,और ध्वनि कार्यकारिणी मे उनका पूर्ण रूपेण हस्तक्षेप होगा।
2. गलत आचरण, आर्थिक संलिप्तता पाए जाने पर अध्यक्ष को कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करवाकर बहुमत के आधार पर 3 वर्ष पूर्व भी और अल्प समय के लिए पद से हटाया जा सकता है,ऐसी स्थिति मे उपाध्यक्ष/महासचिव ही अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को निष्पादित करेंगे।
3. संस्था अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को अपरिहार्य स्थिति मे कार्यकारिणी भंग करने का अधिकार है,परंतु इसके लिए उचित कारण प्रस्तुत करना होगा ।
4. संस्था के वरिष्ठ पद जिसमे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेशों की कार्यकारणी के सभी पद निहित है,को नियुक्ति के पूर्व सम्बंधित पदाधिकारी को स्वयं या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमादित घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा,जिसे मुख्य संरक्षक/संयोजक की अनुमति से अध्यक्ष जारी करेगा।
5. कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य को जो कि संस्था के प्रचार एवं प्रसार मे तथा संगठन को मज़बूत करने में रुचि नही रखता हुआ पाया जाएगा,ऐसे पदाधिकारी को संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष /प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति लेने के बाद पद मुक्त कर सकते है,लेकिन ऐसे पदाधिकारी फिर भी सामान्य सदस्य रहेंगे।
6. किसी भी पदाधिकारी को निष्कासित करने का अंतिम निर्णय कार्यकारिणी मे बहुमत के आधार पर ,उस पदाधिकारी के तथ्य को सुनने के बाद लिया जाएगा।

Arif Kr. Mishra

6. संस्था की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की सदस्यता को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।
7. संगठन के सुचारू संचालन में कार्यकारिणी समिति के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठता कारम के अनुसार बैठकों की अध्यक्षता करना तथा अध्यक्ष की अनुमति से उनके द्वारा अधिकृत विषयों पर निर्णय लेना,परंतु ऐसे निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक है।

महामंत्री/महासचिव

1. अध्यक्ष के निर्देशानुसार संस्था के लिए आवश्यक पत्र आदि तैयार करना।
2. समस्त पत्रावली और रजिस्टर,नियुक्ति इत्यादि सुरक्षित रखना तथा अध्यक्ष द्वारा मॉन्गे जाने पर उसे प्रस्तुत करना।
3. समय समय पर संस्था की प्रगति और कमियाओं को अध्यक्ष को बताते रहना ।

विधिक सलाहकार

संस्था के अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी कानूनी प्रक्रियाओं को संचालित करावाना,संस्था का मार्गदर्शन करना तथा विधिक सलाहकारों को अधिक से अधिक अपने साथ जोड़ना ।

शैक्षणिक प्रबंधक

1. शिक्षा के क्षेत्र से अधिक से अधिक लोगो को अपने साथ जोड़ना।
2. विद्यालयों इत्यादि में बैठक,वृक्षारोपण,हिन्दू बोर्ड,रक्तदान,रोटी बैंक,नशाउन्मूलन इत्यादि उद्देश्यों को अधिक से अधिक लोग जानकर हमसे जुड़े, इसके लिए समय समय पर वहां संस्था के लोगो का कुछ न कुछ कार्यक्रम,बैठक इत्यादि करावाना ।
3. शिक्षा के स्तर को अच्छा करने,गुरुकुलों की स्थापना इत्यादि के लिए जिलाध्यक्ष को अवगत कराना,जिससे कार्यकारिणी के साथ शासन को ज्ञापन इत्यादि से अवगत कराया जा सके ।

प्रचारक

Atul Kr. Mishra

1. अध्यक्ष की अनुमति से संस्था का विस्तार और कमियां बताना।
2. अन्य संगठनों की कार्यशैली और कार्यक्षेत्रों पर नजर रखना।

रैली एवं कार्यक्रम प्रमुख

संस्था के अध्यक्षों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम जो हर महीने की बैठक में रखकर सर्वसम्मति से पास किये जायेंगे,उनको भव्य तरीके से करने के उपाय,बजट इत्यादि को बनाकर उसके लिए सभी से चर्चा करना,सबको रैली और कार्यक्रम की जिम्मेदारी देना और संगठन को आगे बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण लोगो की नियुक्ति इत्यादि करावाना ,इनका कार्य होगा ।

सचिव

1. संस्था की नियुक्ति कहां अपूर्ण है,कहां से होनी है इसको अध्यक्ष को बताना ।
2. सचिव को पूर्ण अधिकार है कि वो जिलाध्यक्ष की अनुमति से संस्था की बेहतरी के लिए कोई कार्य बैठक में रख सकता है,सबकी अनुमति से उसी पास करके रजिस्टर में लिखकर उसकी कानूनी प्रक्रियाओं पर चर्चा करके उसको लागू करवाये ।

संगठन मंत्री

1. संस्था में कहां रिक्त पद है कैसे भरना है,अध्यक्ष की अनुमति से इसे करावाना संगठन मंत्री का कार्य है।
2. किसी भी निस्कासन के लिए अध्यक्ष की अनुमति से अनुशासन समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार संगठन मंत्री को है ।
3. संगठन को बढ़ाने के लिए सुझाव बैठकों में संगठन मंत्री द्वारा रखे जाएंगे।

अनुशासन प्रमुख

कोई भी अनुशासनहीनता होने पर सीधे सीधे निष्कासित नही करना है,शिकायत को अनुशासन प्रमुख के समक्ष रखा जाएगा,अनुशासन प्रमुख जिलाध्यक्ष से चरचा करके प्रदेश अनुशासन प्रमुख को भेजेगा,प्रदेश अनुशासन प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति लेकर ही आदेश जारी करेगा।

मीडिया प्रभारी

Arif Kr. Mishra

बतलाने का कार्य इनका होता है,इस पद पर नियुक्ति बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाएगी।

संस्था का प्रारूप

बूथ – इसमे 10 लोग होंगे ।
ब्लॉक – इसमे 15 लोग होंगे।
विधानसभा- इसमे 21 लोग होंगे
जिला- इसमे भी 25 लोग होंगे।
मण्डल- इसमे 11 लोग होंगे।
क्षेत्र- इसमे 9 लोग होंगे।
प्रदेश – इसमे लगभग 21 से 50 लोग रखे जा सकते है।
प्रांतीय क्षेत्र- इसमे 5 लोग रहेंगे।
राष्ट्रीय- इसमे 21 ही रहेंगे।
सभी के पदों का विघटन संस्था के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
>ऑनलाइन आवेदन करे<
निशुल्क आजीवन सदस्य बनने हेतु ->
"केसरिया हिन्दू वाहिनी ट्रस्ट"

यह एक गैर राजनीतिक संगठन है जो कि पूर्ण रूप से हिंदुत्व के जमीनी कार्यो के लिए बनाया गया है, हमारे संगठन में जमीनी रूप से कार्य करने वाले लोगो का स्वागत है ।

Atul Kr. Mishra

अतुल कुमार मिश्रा
संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

Atul Kr. Mishra

फैसरिया हिन्दू वाहिनी ट्रस्ट

9. न्यास की आय के स्रोत एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यासी के अधिकार : दान, चंदा, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहयोग राशि, धन, संपत्ति, व्यक्ति विशेष, संस्थान स्वैच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से चल/अचल सम्पत्ति प्राप्त करना और जनहित में कार्यहित कार्यक्रम संचालित करना।

10. प्रबंध समिति के अधिकार न्यास के संबंध में :

1. समय-समय पर न्यास की कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
2. न्यास के संपत्ति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि की वृद्धि के हेतु न्यास की निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीकृत बैंक/डाकघर, एच0डी0एफ0सी0/यू0टी0आई0, ए0बी0एन0 एमरो, आई0सी0 आई0सी0आई0/ इंग वैश्य मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।
3. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गांधी फाउंडेशन, राष्ट्रीकृत बैंक, नाबार्ड, विश्व बैंक या एसियन डेवलपमेंट बैंक, अर्न्तराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्कों या अन्य प्राईवेट एवं पब्लिक संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
4. न्यास के कोष/निधि का उपयोग अस्पताल, मेडिकल कालेज, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी, प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालय एवं कालेज की स्थापना में करना।
5. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति किराये/लीज/पट्टे पर देना।
6. न्यास के नाम से बचत/चालू/अवार्ती जमा/ अनवर्ती जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचलान संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी या उनके

Ashok Mishra

18. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।

19. आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना या विपदाग्रस्त परिस्थिति में संस्थापक/ अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नही दी जाएगी।

20. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत ही किया जायेगा।

21. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से संस्था के दैनिक प्रशासन से सबधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रहकर संस्था का प्रतिनिधत्व करेगें।

22. न्यास के सभी अभिलेख को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

23. न्याय की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा उपाध्यक्ष के परामर्श से बैठकों क लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।

24. न्यास के समस्त आय–व्यय का लेखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

25. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य संपादित करना/अनुपालन करना।

26. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यो के निष्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।

27. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय राज्य/जिला शाखा के कार्यो का पयवेक्षण करना।

28. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आप सभी की स्वीकृति प्राप्त

Arif Kr. Misra

4. बैठक की सूचना निबंधित डाक कोरियर या विशेष दूत द्वारा दी जायेगी।

14. मतदान

साधारणतया मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

15. रिक्त पदों की पूर्ति

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद शेष कार्यकाल के लिए संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी किसी भी अन्य सदस्य का मनोनयन कर सकते है।

5. आय का स्रोत

न्यास के आय के निम्नलिखत श्रोत होंगे।

(क) प्रवेश शुल्क

(ख) सदस्यता शुल्क

(ग) आजीवन सदस्यता शुल्क

(घ) दान एवं चंदा

(ड़) अनुदान

(च) ऋण

(छ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से/चैरिटी शो के आयोजन से/प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से।

(ज) संबद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क

(झ) विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से तथा जमा कोष से।

ट के अभिलेख : ट्रस्ट के समस्त अभिलेख जैसे रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैशबुक आदि संस्थापक ट्रस्टी के पास रहेंगे तथा ट्रस्ट की समस्त सम्पति जैसे कुर्सी मेज अलमारी कार्यालय आदि संस्थापक के पास रहेंगे।

Arif Kr. Mishra

करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

29. समान उद्देशयों की ट्रस्ट, स्वैछिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, संबद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

30. राष्ट्रीय शाखा/राज्य शाखा/ जिला/प्रखण्ड/ पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का ब्यौरा तैयार करना।

31. प्रबध समिति के प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

32. किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।

33. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करगी।

11. **प्रबन्ध समिति की बैठक**

1. साधारण बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपतकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।

2. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक एक महीने में एक बार होगी तथा आवश्यकतानुसार भी बैठक बुलाई जाएगी।

3. प्रबंध समिति में कुल सात पदाधिकारियों में से पांच पदाधिकारियों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

4. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा

2. **आम सभा**

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान

Atul Kr. Mishra

द्वारा अधीकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से करना और समय-समय पर संसोधन कर बैंक/ डाकघर को सूचित करना।

7. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/ परामर्शदाता नियमित करना/अधिकृत करना।

8. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/ अंशकालीन वैतानिक/अवैतनिक व्यक्तियों अधिकारियों की नियुक्ति/लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।

9. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट /संगठन/संस्थान से संबद्ध होना, सबद्ध करना और उद्देश्य की पूति करना।

10. न्यास के संपत्ति, कोष/निधि सामान्य उद्देश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक, संगठन, न्यास/ट्रस्ट को देना।

11. न्यास के उदेदश्य की पूति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य/ जिला/ प्रखंड/ पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्राप्त करना।

12. प्रबंध समिति न्यास के कार्यो को संपादित एवं सूचारू रूप से चलाने में समय-समय पर अलग-अलग समितियाँ या एक समिति गठित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

13. न्यास के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय लेख का अंकेक्षण।

14. अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

15. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।

16. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।

17. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।

Atul Kr. Mishra

1. संस्था की बैठकों,कार्यक्रमो ,गोस्थियों इत्यादि को प्रिट ,इलेक्ट्रॉनिक,वैब मीडिया में निकलवाना मीडिया प्रभारी का कार्य है।
2. संस्था किसी न किसी कार्यवश मीडिया में रहे ,इसके उपाय बैठकों में रखकर पास कराकर उसकव क्रियान्वित करवाएं ।

सदस्यों के अधिकार

1. जिले के सभी पदाधिकारियों के कार्यों का आवंटन जिन लोगो को हुआ है,उनके कार्यों की समीक्षा करना तथा अध्यक्ष को अवगत कराना।
2. किसी भी प्रक्रिया में बदलाव के लिए ,कार्यक्रम इत्यादि के लिए अध्यक्ष/महासचिव को अवगत कराना।

कोषाध्यक्ष

1. संस्था के समस्त आय व्यय के अभिलेख तैयार करना,अभिलेख पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर करावाना।
2. संस्था के आय के सोतों को बढ़ाने के उपाय तथा खर्च पर पूरी तजार रखना ,एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराना ।
3. अध्यक्ष/महासचिव तथा कोषाध्यक्ष के सम्मिलित नाम से एकाउंट खुलेगा ,तथा दोनो के हस्ताक्षर से ही कार्य सम्पादित होंगे।

कार्यालय प्रभारी

1. संगठन के प्रचार ,प्रसार और विस्तार के लिए विधिक रूप से परामर्श लेना और कार्यालयों की स्थापना और उनमें सामग्री की व्यावस्था मुख्य रूप से करावाना।
2. समस्त पादाधिकारियों पर नज़र रखते हुए सुझाव एवं समस्या से मुख्य संरक्षक/संयोजक को अवगत कराना ।

IT एवं सोशल मीडिया प्रभारी

1. facebook और whatsapp के माध्यम से संस्था का प्रचार प्रसार और नियुक्ति को करावाना इनकी जिम्मेदारी होती है।
2. किसी भी संगठन की रीढ़ ये लोग होते है,इनके कारुयों और आदेशों का पूर्ण रूप से हर पदाधिकारी पालन करेगा,परंतु अध्यक्ष की अनुमति से ही कोई आदेश इनके द्वारा जारी होगा ।

प्रवक्ता

ये किसी भी संगठन का चेहरा होते है,कोई भी मीडिया वक्ततव्य,गोश्ठी और कार्यक्रम में संस्था की जानकारी और कारुयों को

Ashfkr Misra

1. संस्था द्वारा संचालित watsapp और facebook ग्रुप मे संस्था से सम्बंधित पोस्ट ही किये जावेगे ।
2. good morning, good night, राजनीतिक पोस्ट ,समाचार इत्यादि जो कि संस्था से सम्बंधित न हो पूर्ण वर्जित है।

विशेष:-

सोशल मीडिया के इन कार्यों मे जो भी गलती करता हुआ पाया जाएगा,उसको सोशल मीडिया टीम अनुशासन समिति के समक्ष रखेगी,अनुशासन समिति का निर्णय मानना बाध्य होगा।

बैठकों की कार्य संचालन की प्रक्रिया

1. संस्था के जिलाध्यक्ष,मण्डल अध्यक्ष, क्षेत्रिय अध्यक्ष,प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी उपलब्ध होगा, वो अपने जिले मे अध्यक्षता करेगा।
2. महामंत्री/सचिव बैठक की कार्यवाही को एक जगह रजिस्टर मे हस्ताक्षर करवाके लिपिबद्ध करेगा।
3. संस्था की बैठक कार्यालय प्रांगण मे या कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित स्थान पर की जाएगी।
4. कार्यसूची मे सम्मिलित विषय के अतिरिक्त अध्यक्ष की आज्ञा से अन्य विषयों पर भी बैठक मे विचार विमर्श किया जा सकता है।
5. संस्था की बैठक मे सर्वप्रथम पिछली बैठक की कार्यवाही को पडेहा जाएगा,एवं उसकी पुष्टि होगी।

संस्था के पदाधिकारियों के कार्य एवं कर्तव्य

अध्यक्ष

1. समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. साधारण सभा या संगठन की कार्यकारिणी की बैठक बुलाना, स्थगित करना तथा विश्रजीत करना।
3. बैठक मे अनुशासन व्यवस्था स्थापित करना।
4. बैठक मे सभी आवश्यक कागजात तैयार करावाना,अपना पैड बनवाकर उनपर सबको नियुक्ति देना ।
5. संस्था की ओर से सभी बिल बाउचर इत्यादि को पारित करना ।

Atul Kr. Misra

7. विशेष परिस्थिति में जबकि ऐसे पदाधिकारी किसी भी तरह की मनमानी/गलत आचरण/आर्थिक संलिप्तता एवं असंवैधानिक कार्यों में संलिप्त या न्यायालय द्वारा अभियोजित पाए जाएंगे उनको न्यायालयी प्रकिरिया तक पूर्ण रूप से पदमुक्त करने का निर्णय संस्था के अध्यक्ष और महसचिव द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाएगा,और इसको मानना सभी के लिए बाध्य होगा ।
8. ऐसे पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो की किसी भी पदाधिकारी या सामान्य कार्यकर्ता को अपमान जनक भासहा का प्रयोग या संबोधन करेगा उसकव अनुसाशन समिति द्वारा स्पष्टी करण माँगे जाने पर अनुशासन समिति को मौखिक या लिखित जवाब देना होगा।
9. ऐसे पदाधिकारी या कार्यकर्ता को जो कि संस्था को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की हानि या छति पहुंचाने का दोषी पाया जाएगा,उसको संस्था की अनुशासन समिति के निर्णय को मानना बाध्यकारी होगा,जिसमे निष्कासन भी शामिल हो सकता है।
10. संस्था के समस्त सम्मानित पदाधिकारी/कार्यकर्ता को संस्था के बनाये गए नियमों का पालन करना बाध्यकारी होगा।
11. संस्था की किसी भी सूचना को जो कि,संस्था के लिहाज से गोपनीय हो,बाहर भेजना या लीक करना अनुसानहीनता के दायरे में माँना जायेगा,ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा निर्धारित किये गए दंड का वह व्यक्ति / कार्यकर्ता/ पदाधिकारी स्वयं भागी होगा।
12. पोस्टर/बैनर में मुख्य संरक्षक/संयोजक/ संयोजिका/राष्ट्रीय अध्यक्ष/अध्यक्षा/ महासचिव/प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव की तस्वीर लगाना अनिवार्य होगा,इसके अतिरिक्त किस्से की भी लगाए,ऐसा न करना अनुशासन हीनता के दायरे में आएगा।
13. किसी भी सामान्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी से नियुकक्ति के पूर्व उसकी पूरी जानकारी लेना/देना अनिवार्य होगा,नियुकक्ति पत्र प्रदत्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा निर्गत होने पर ही मान्य होगी।
14. नियुक्ति पत्र जारी होने से पूर्व फ़ोटो id जारी किया जाना अनिवार्य होगा,जिसको की संस्था के कार्यालय अभिलेख में रखा जाएगा।

<u>Whatsapp एवं facebook सम्बंधित नियम</u>

Arif Kr Mishra

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय लखनऊ क्रम संख्या 2018229024354

आवेदन संख्या : 201800821119357

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2018-12-20 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम अतुल कुमार मिश्रा

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 200

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 120

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 320

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2018-12-20 00:[illegible]

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि का तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2018-12-20 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 926843

केसरिया हिन्दू वाहिनी ट्रस्ट

वार्ड : शंकरपुरवा

स्टाम्प शुल्क : रू0 750/-

न्यास पत्र /स्मृति पत्र

यह न्यासपत्र /स्मृति पत्र दिनांक 20.12.2018 को स्थान लखनऊ में द्वारा श्री अतुल कुमार मिश्रा पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा, निवासी-बी-43, केशव विहार, रिंग रोड, नजदीक महात्मा बुद्ध इण्टर कालेज, कल्याणपुर, लखनऊ उ0प्र0 (भारत) संस्थापक है जो कि ट्रस्ट

Atul Kr. Mishra

पर वार्षिक आम

सभा प्रत्येक वर्ष के अंत में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी आम सभा के निम्नलिखित कार्य होगे:-

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृत प्रदान करना।
3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।
4. अंकेक्षित आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकेक्षित की नियुक्ति करना।
6. आगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चम/निर्धारित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की अनुमति से विचार करना।

13. <u>असाधारण बैठक</u>

संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की सलाह पर।
2. कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।
3. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम, संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्णय को कही भी चुनौती नहीं दिया जायेगा।

Arvind Kr Mishra

भारद्वाज
आरती प्रजापति
दिनेश बागडिया
अमि हेमंत देसाई
नेहा (औरेया)
गौरव त्रिपाठी
0. अजीत मिश्र
1. प्रदीप पटेल
2. रोहित मिश्र

प्रबुद्ध न्यासी :–

मूल संस्थापक/अध्यक्ष न्यस के हित में प्रबुद्ध व्यक्तियों को न्यास में सकता है। प्रबुद्ध न्यासी वही व्यक्ति हो सकते है जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त अथवा न्यास के हित में, समुदाय के हित में तथा राष्ट्र के हित में बहुमूल्य योग कर सकता है। न्यचास इनके सुझावों को यदि उचित समझता है तो उन्हें स्वी कर सकता है। अतएवं प्रस्तुत ट्रस्ट विलेखनिष्पाद के समय निम्न प्रबुद्ध व्यक्तियों सदस्य के रूप में निर्धारित किया जा रहा है।

चुने हुए समस्त न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए संस्थापक/अ न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करेगें।

सरिया हिन्दू वाहिनी ट्रस्ट के उद्देश्य –

1. इस ट्रस्ट का उद्देश्य हिन्दू बोर्ड के गठन में सहयोग करना है।
2. राम मंदिर निर्माण में सहयोग करना है।
3. गौ सेवा और गौरक्षा में सहयोग करना है।

न्यास :–

न्याय के हित में न्यास का संस्थापक/अध्यक्ष समाज के घृनिन्दा व्यक्तियों को ...ित कर सकता है, जो न्याय के आजीवन सदस्य कहलायेंगे। यह न्यास के आजीवन सदस्य जीवन पर्यन्त बने रहेंगे। यह न्यासी विधिक रूप से या अन्य कारण से अक्षम होने पर न्यास से सेवानिवृत्त हो सकते है। न्यास के आजीवन सदस्यो को न्यास की वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने भग लेने व मतदान देने का अधिकार रहेगा तथा न्यास के संचालन में उनका सहयोग रहेगा।

केसरिया हिन्दू वाहिनी ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्य :–

1. संस्थापक/अध्यक्ष – अतुल कुमार मिश्रा
2. सहसंस्थापक – देवी मंजुलता
3. संयोजक – बजरंग सिंह राठौड़
4. सहसंयोजक – धर्मराज सिंह (बाली)
5. उपाध्यक्ष – दीपक कुमार
6. उपाध्यक्ष – अनूप राठौड़
7. सचिव – डा0 के0के0 गुप्ता
8. महासचिव – राजेश मालपानी
9. सचिव – सुनील शर्मा
10. सचिव – एडवोकेट सुनील गुप्ता
11. कोषाध्यक्ष – अंकित मिश्र
12. निरीक्षक – महेश शर्मा
13. विधिक सलाहकार – इरा अवस्थी
14. संगठन मंत्री – शिवप्रकाश मिश्र
15. संगठन मंत्री – जितेन्द्र मिश्रा
16. आई0टी0 प्रभारी – मनीष सिंघल
17. अनुशासन प्रमुख – विशाल मिश्रा
18. पब्लिक रिलेशन – इन्दू त्यागी
19. राष्ट्रीय सचेतक – रविन्द्र राजपूत

दस्यगण :–

उज्जवल दवे

हरेन्द्र सिंह

केसरिया हिन्दू वाहिनी
भारत
8400187181
संस्थापक अध्यक्ष

USPA

केसरिया हिन्दू वाहिनी

(रजि०- 4334/2018)

समिति के उद्देश्य

1. हिन्दू का साथ हिन्दू का विकास ।
2. हिन्दू बोर्ड का गठन ।
3. राम मंदिर निर्माण ।
4. हिन्दू समाज के लोगों के लिए आपसी प्रेम, सद्भाव एवं भाई चारे की भावना जागृत करना । हिन्दू समाज के विकास के लिए हर संभव मदद करना।
5. समाज मे विलुप्त हो चुकी भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना।
6. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी एवं बैठकों का आयोजन करना।
7. हिन्दू समाज के उत्थान के लिए शासन एवं प्रसासन के समक्ष मांग उठाना, ज्ञापन देना ।।
8. हिन्दू युवाओं को तकनीकी,साहित्यिक,शास्त्रिक, तरीके से मजबूत बनाना ।।
9. भारत सरकार केंद्र एवं राज्य के सभी विभागों के जनउपयोगी कार्यक्रमों से लोगो को अवगत कराना एवं लोगो को इसका लाभ दिलाना ।।
10. गरीब, असाहय, जरूरतमंद महिला एवं बच्चों को पढ़ाई के अवसर एवं रोजगार उपलब्ध करवाना ।।
11. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रतियोगात्मक शिक्षा नि:शुल्क दिलाने की व्यवस्था करना ।
12. गरीब उत्कृष्ट एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना एवम निशक्त बच्चो का पुनर्वास और उनको पढ़ाई के साथ रोजगार उपलब्ध करवाना।
13. गरीब बच्चियों की शादी के लिये सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करना शादी व्याह को हिन्दू मान्यता के आधार पर करवाने में उनकी सहायता करना तथा दहेज रहित विवाह करने हेतु प्रेरित करना ।
14. जागरूकता शिविरों के माध्यम से गंभीर रोग, विधवाश्रम, व्यायामव्याप्त कुरीतियों को लोगो को समझाना ।
15. जनहितार्थ धर्मार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, विधवाश्रम, व्यायामशाला, वृद्धाश्रम, बालवाड़ी, आँगनवाड़ी आदि की नि:शुल्क मदद करना ।
16. गौ सेवा और गौरक्षा ।। गौसेवा के लिए अपने सभी लोगो को प्रेरित एवम जागरूक करना, उनके उपचार इत्यादि को बताना, समझाना ।। गौ सेवा और गौरक्षा ।। गौसेवा के लिए अपने सभी लोगो को प्रेरित एवम जागरूक करना, उनके उपचार इत्यादि को बताना,समझाना ।।
17. नशा उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित करना ।।
18. रक्तदान शिविर लगवाना ।।
19. रोटी, कपड़ा बैंक संचलित करना ।।
20. वृक्षारोपण कर्यक्रम आयोजित करना सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण बनाने का हर संभव प्रायास करना। ।।
21. ग्रीष्मकाल में प्याऊ की व्यवस्था करके जनहित को लाभान्वित करना।

सदस्यता के लिये संपर्क करें–

सौजन्य से:- राष्ट्रीय कार्यालय,
केसरिया हिन्दू वाहिनी, अखंड भारत

एक भारत अखण्ड भारत
केसरिया हिन्दू वाहिनी

एक भारत अखण्ड भारत

जय श्री राम

केसरिया हिन्दू वाहिनी

अतुल मिश्रा 'लकी'

संस्थापक अध्यक्ष

संम्पर्क सूत्र

Mob:- 8400187781 , 8423009295

E-mail:- keshariyahinduvahini@gmail.com
website:-www.keshariyahinduvahini.com

TOLL FREE NUMBER
18001024980

पत्रांक.....

दिनांक.....

मनोनयन पत्र

प्रतिष्ठा में,.....

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आपको केसरिया हिन्दू वाहिनी का .....जनपद/प्रदेश.....नियुक्त किया जाता है।

आशा है कि आप अपना संगठन के प्रति दायित्व कर्मठता, ईमानदारी व सक्रियता के साथ निभाकर संगठन के संकल्प को पूरा करने में सक्रिय योगदान देंगे।

।। शुभकामनाओं सहित ।।

प्रतिलिपि
जनपद.....के
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय
समस्त पदाधिकारी
केसरिया हिन्दू वाहिनी

अतुल मिश्रा
संस्थापक अध्यक्ष
केसरिया हिन्दू वाहिनी

केसरिया हिन्दू वाहिनी के पदाधिकारियों के लिए अवश्यक निर्देश

1. केसरिया हिन्दू वाहिनी एक संगठन नही परिवार है, अतः यहाँ कोई बड़ा छोटा नही, सब हमारे प्रिय सदस्य है परिवार के, तो सबका आदर करें, सम्मान करें कोई गलती करता भी है तो उसे व्यक्तिगत तौर पर प्यार से समझाये न की ग्रुप पर ।
2. केसरिया हिन्दू वाहिनी के ग्रुप आपसी परचिय और केसरिया परिवार की जरूरी सूचनाओं के लिऐ बने है इसका इस्तेमाल फ़ोटो, वीडियो, गुड नाईट, गुड मॉर्निंग इत्यादि के लिऐ न करें, यहाँ आप लोग अपने अच्छे-अच्छे विचार और सुझाव लिखे या रिकॉर्डिंग के माध्यम से कहे जिससे संगठन में मज़बूती आये ।
3. केसरिया परिवार में जब भी कोई नया सदस्य जुड़े तो कम से कम उसके लिऐ स्वागत और बधाई तो जरूर दे, इससे आपके नए साथी का उत्साह बढ़ेगा, आप आज उस नए साथी का उत्साह बढ़ाओगे तो वो आप लोगों के बीच अपनापन समझेगा और निर्भिकता और बेबाकी से अपनी बात कहेगा।
4. केसरिया परिवार के सभी जिला अध्यक्ष को अधिकार है की बिना उनकी अनुमति से जो भी नियुक्ति उनके जिले में हो, उस पर अपनी आपत्ती लगा सकता है और जिला अध्यक्ष से हम ये आशा रखते है की भले ही उसने 10 लोगो को ग्रुप में जोड़ा हो उनको जोड़ने से पूर्व संगठन के ग्रुप की मर्यादा के विषय मे जरूर बताएं, क्योकि नए परिवार में जुड रहे लोगो को यहाँ की चीजें नही पता होती और अनजाने में उनसें गलती हो जाती है ।
5. केसरिया परिवार के मुख्य प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है वो अपनी कार्यकारिणी के अतरिक्त महिला, युवा, यूथ, गौरक्षा, व्यापार, व्याधिक प्रकोष्ठ सभी का मुखयिा होता है तो जिला उपाध्यक्ष, सचिव इत्यादि लोग उनका सहयोग करे।
6. केसरिया हिन्दू वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है हिन्दू बोर्ड का गठन तो इसके लिऐ कमर कस ले। अब तक जितने भी जिलाध्यक्ष बने चुके है उनसे विनम्र आगरह है की वो अपनी कार्यकरिणी 15 मई तक जिले की जरूर बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को भेजे अन्यथा 15 मई के बाद हम लोग बिना किसी सूचना के दूसरे पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिए बाध्य होगे।
7. किसी भी जिलाध्यक्ष को जो भी दिक्कत आ रही हो, पहले अपने मण्ड़ल और प्रदेश के लोगों को अवगत कराएं, तब भी कोई हल नही निकलता तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों को अवगत कराएं ।
8. केसरिया परिवार में आज तक काई भी ऐसा मामला नही आया है की किसी पुरूष पदाधिकारी द्वारा महिला पदाधिकारी से कोई अभर्दता की गई हो इसे बनाये रखये, कोशिश कीजिये की रात 8.00 बजे के बाद कोई भी कॉल उनको न की जाए, बहुत जरूरी हो तो एस.एम.एस. डाल दे।

केसरिया हिन्दू वाहिनी

(रजि०- 4334/2018)

समिति के उद्देश्य

1. हिन्दू का साथ हिन्दू का विकास ।
2. हिन्दू बोर्ड का गठन ।
3. राम मंदिर निर्माण ।
4. हिन्दू समाज के लोगों के लिए आपसी प्रेम, सद्भाव एवं भाई चारे की भावना जागृत करना । हिन्दू समाज के विकास के लिए हर संभव मदद करना।
5. समाज मे विलुप्त हो चुकी भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना।
6. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी एवं बैठकों का आयोजन करना।
7. हिन्दू समाज के उत्थान के लिए शासन एवं प्रसासन के समक्ष मांग उठाना, ज्ञापन देना ।।
8. हिन्दू युवाओं को तकनीकी,साहित्यिक,शास्त्रिक, तरीके से मजबूत बनाना ।।
9. भारत सरकार केंद्र एवं राज्य के सभी विभागों के जनउपयोगी कार्यक्रमों से लोगो को अवगत कराना एवं लोगो को इसका लाभ दिलाना ।।
10. गरीब, असाहय, जरूरतमंद महिला एवं बच्चों को पढ़ाई के अवसर एवं रोजगार उपलब्ध करवाना ।।
11. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रतियोगात्मक शिक्षा नि:शुल्क दिलाने की व्यवस्था करना ।
12. गरीब उत्कृष्ट एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना एवम निशक्त बच्चो का पुनर्वास और उनको पढ़ाई के साथ रोजगार उपलब्ध करवाना।
13. गरीब बच्चियों की शादी के लिये सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करना शादी व्याह को हिन्दू मान्यता के आधार पर करवाने में उनकी सहायता करना तथा दहेज रहित विवाह करने हेतु प्रेरित करना ।
14. जागरूकता शिविरों के माध्यम से गंभीर गैस, विधवाश्रम, व्यायामव्याप्त कुरीतियों को लोगो को समझाना ।
15. जनहितार्थ धर्मार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, विधवाश्रम, व्यायामशाला, वृद्धाश्रम, बालवाड़ी, आँगनबाड़ी आदि की नि:शुल्क मदद करना ।
16. गौ सेवा और गौरक्षा ।। गौसेवा के लिए अपने सभी लोगो को प्रेरित एवम जागरूक करना, उनके उपचार इत्यादि को बताना, समझाना ।। गौ सेवा और गौरक्षा ।। गौसेवा के लिए अपने सभी लोगो को प्रेरित एवम जागरूक करना, उनके उपचार इत्यादि को बताना,समझाना ।।
17. नशा उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित करना ।।
18. रक्तदान शिविर लगवाना ।।
19. रोटी, कपड़ा बैंक संचलित करना ।।
20. वृक्षारोपण कर्यक्रम आयोजित करना सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण बनाने का हर संभव प्रायास करना। ।।
21. ग्रीष्मकाल में प्याऊ की व्यवस्था करके जनहित को लाभान्वित करना।

सदस्यता के लिये संपर्क करें–

देवी मंजूलता
संरक्षक

सौजन्य से:- राष्ट्रीय कार्यालय,
केसरिया हिन्दू वाहिनी, अखंड भारत

एक
आशापूर्ण
अपील....

गरीब–अनाथ बच्चों को बनाये

समर्थ और शिक्षित

केसरिया हिन्दू वाहिनी (रजि.)
देश के सभी राज्यों में एक साथ
100 गुरूकुलो की स्थापना के
लिये आगामी वर्ष में प्रयासरत

केसरिया हिन्दू वाहिनी

हिन्दू बोर्ड का गठन

हिन्दू बोर्ड क्या है

भारत के सभी हिन्दू-सनातन मठ, मन्दिरों, देवालायों, धार्मिक स्थलों, भूभागों, तीर्थ स्थलों, कुण्ड, तालाबों एवं धार्मिक नदियों सहित सभी पौराणिक स्थलों, पीठो, न्यास, ट्रस्ट आदि को सूचीवद्ध करने एवं इन पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने अथवा ऐसी सम्पदाएं जो किन्ही कारणों से विलुप्त हो रही है अथवा उनके अस्तित्व को समाप्त कर उस पर अतिक्रमण किया गया है या किया जा रहा है, उसकी खोज करना तथा उसके अस्तित्व को पुनः स्थाापित करने, उसमें पूजन-अर्चन, दर्शनादि के प्रबन्ध करने सहित हिन्दू को पुनः स्थापित करने, उसमें पूजन-अर्चना, दर्शनादि के प्रबन्ध करने सहित हिन्दू सामाज में पाच्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार-प्रसार को रोकने तथा हिन्दू समाज में विभिद्ा प्रकार के कुरीतियों की रोकथाम तथा हिन्दू-सनातन संस्कृति व सभ्यता के विकास व हिन्दूओं को संगठित करने आदि के अद्देश्य से मैने हिन्दू सनातनी सामाज के कुछ प्रबुद्ध जनों, विद्वानों एवं सनातन धर्म मर्मज्ञों से विचार-विमर्श के पश्चात ऑल इण्डिया हिन्दू पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि सम्पूर्ण भारत वर्ष तथा सम्पूर्ण विवाह में जहाँ भी सनातन धर्मावलम्बी निवास कर रहे है, इनको संगठित किया जाय और उनके बीच सनातन धर्म तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार- प्रसार किया जाय तथा उनके धार्मिक ग्रन्थों पर शोध करने सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बी के समक्ष रखा जाये। इसलिए इस संस्था का गठन करने के पश्चात् भारत सरकार के 1982 न्याय अधिनियम के अन्तर्गत इसका गठन किया गया है ऑल इण्डिया हिन्दू पर्सनल लॉ बोर्ड के उद्देश्य नीचे उल्लिखित है।

सम्पूर्ण विश्व भर में निवास कर रहे सभी सनातन धर्म का प्रचार व प्रसार करना तथा सभी लोगों के बीच सामप्रदायिक सौहार्द पैदा करना।

भारत वर्ष के सभी सनातन मठ मन्दिरों, देवालयों, विश्वालयों धार्मिक स्थलों, भूभागों, तीर्थस्थलों, कुण्डो, तालाबों, एवं धार्मिक नदियों सहित सभी पौराणिक स्थलों को सूचीबद्ध करना तथा उनको भू-माफियों एवं अपराधियों से बचाने का कार्य करना।

केसरिया हिन्दू वाहिनी

हिन्दू बोर्ड का गठन

हिन्दू बोर्ड के गठन के लिये आगे आयी केसरिया हिन्दू वाहिनी

नई दिल्ली। केसरिया हिन्दू वाहिनी के संस्थापक अतुल मिश्र लकी ने आआज घोषणा कर दी है कि उनकी वाहिनी अब हिन्दू बोर्ड के गठन के लिए कमर कस चुकी है,देश के 543 जिलो में केसरिया की टीम बन चुकी है,जो कि हिन्दू बोर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब जनहित याचिका दाखिल करके प्रत्येक जिले में इसके लिए आवाज़ उठाएगी। भारत के सभी हिन्दु-सनातन मठ, मन्दिरों, देवालयों, धार्मिक स्थलों, भूभागों, तीर्थ स्थलों, कुण्ड, तालाबों एवं धार्मिक नदियों सहित सभी पौराणिक स्थलों, पीठो, न्यास, ट्रस्ट आदि को सूचीबद्ध करने एवं इन पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने अथवा ऐसी सम्पदाएं जो किन्ही कारणों से विलुप्त हो रही है अथवा उनके अस्तित्व को समाप्त कर उस पर अतिक्रमण किया गया है या किया जा रहा है, उसकी खोज करना तथा उसके अस्तित्व को पुन: स्थापित करने, उसमें पूजन-अर्चन, दर्शनादि के प्रबन्ध करने सहित हिन्दु को पुन: स्थापित करने, उसमें पूजन-अर्चन, दर्शनादि के प्रबन्ध करने सहित हिन्दु सामाज में पाष्चात्य

संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार-प्रसार को रोकने तथा हिन्दु समाज में विभिन्ना प्रकार के कुरीतियों की रोकथाम तथा हिन्दु-सनातन संस्कृति व सभ्यता के विकास व हिन्दूओ को संगठित करने आदि के उद्देश्य से मैने हिन्दू सनातनी सामाज के कुछ प्रबुद्ध जनों, विद्वानो एवं सनातन धर्म मर्मज्ञों से विचार-विमर्श के पश्चात केसरिया हिन्दू बोर्ड का गठन इस उद्देश्य से किया जॉना है कि सम्पूर्ण भारत वर्ष तथा सम्पूर्ण विवाह में जहां भी सनातन धर्मावलम्बी निवास कर रहे है, उनको संगठित किया जाय और उनके बीच सनातन धर्म तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्याता का प्रचार-प्रसार किया जाय तथा उनके धार्मिक ग्रन्थों पर शोध करने सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बी के समक्ष रखा जाये। केसरिया हिन्दू वाहिनी के संस्थापक अतुल मिश्र लकी ने बताया है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान,गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीशगढ़, त्रिपरा, तमिलनाडु, आसाम, केरल, पंजाब, बंगाल राज्यो के प्रदेश अध्यक्षज को सूचित कर दिया गया है।

एक भारत

अखण्ड भारत

रजि.- 2018/4334

केसरिया हिन्दू वाहिनी

एक भारत अखण्ड भारत

केसरिया हिन्दू वाहिनी

हिन्दू बोर्ड का गठन

हिन्दू बोर्ड का गठन के लिए दृढ़ संकल्पित

Whatsaap - 8400187781 & 8127036202

Web :- kesariyahinduvahini.com

Toll Free Number :- 18001024980

9. नियुक्त पत्र और मोहर सभी जिलाध्यक्ष बनाव ले, क्योकि जिलों के नीचे की नियुक्ति उन्ही के लेटर पैड पर होनी चाहिए।

10. महिने में एक बार एक निज स्थान पर कम से कम जिले के पदाधिकारी बैठक जरूर करें उसे बैठक में नए साथियों को नियुक्ति पत्र को भी दे, एक स्थान पर कार्यालय बना लेने से ये दिक्कते दूर होगी।

11. संगठन बहुत अच्छे तरीके से निः शुल्क कार्य कराना चाहता है, परन्तु इसको ताकत और मज़बुती आप सबको प्रयास से ही मिलेगी, अतः यदि वा कई में धर्म और हिन्दूत्व के लिए इस परिवार में जुड़ें है तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कार्य कीजिये, हर घर से एक हिन्दू की जरूत है हमे तो आप सभी को दिल से अपनी सम्मान को और संगठन की गरिमा को बनाकर रख सके।

12. संगठन का फेसबुक पेज बनाइये, हर जिले और हर तहसील का मोबाइल ऐप भी अपना डाउनलोड कीजिये, कोई समस्या आये तो हमसे पूछ के कीजिये, लेकिन लोगो के बीच अधिक से अधिक अपनी बातों को रखये।

13. कई विरोधी और विपक्षी ताकते हमे कमजोर करने की और भ्रमित करने की पूरी जी तोड़ कोशिशों में लगे है लेकिन इस परिवार के लोग बहुत ही हिम्मत से मेरे साथ खड़े है आप सब इस परिवार की नींव हो, और सभी को हम लोग अच्छे कार्य से मुहतोड़ जवाब देगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का फिर कभी इस विश्वास के साथ इतनी चीजों आप लोग कार्य करेगे। और इस परिवार को देश का सब से अच्छा परिवार बनायेगे।

विशेष :

संगठन में कार्य मौज मस्ती के साथ करये, आपस में चर्चा करे, नए लोगों को जोडें।

गौवंश पर विशेष ध्यान दें।

धार्मिक वार्ता में तर्क वितर्क न करें जो बात जानकारी में न हो या समझ में न आये उस पर परस्तुत न करके गंभीरता से समझें। अपने को समाज के अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानें क्योकि आप अपने साथ समाज के कमजोर वर्ग व असहाय जीवों के लिऐ बहुमुल्य समय खर्च कर रहे है किन्तु आप श्रेष्ठ है ये किसी को जताने की आवश्यकता नही है धीरे-धीरे लोग आप की श्रेष्ठता की चर्चा करने लगेगे

अतुल मिश्रा (लक्की) संस्थापक, केसरिया हिन्दू वाहिनी

हमारे उद्देश्य

हिन्दू बोर्ड का गठन

गौरक्षा

राम मन्दिर निर्माण

वृक्षारोपण

रोटी बैंक की स्थापना

रक्तदान

स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम

नशाउन्मूलन

गुरूकुलों की स्थापना

वृद्धाश्रमों की स्थापना

केसरिया हिन्दू वाहिनी